सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी० डी० एस०) के द्वारा वितरित किए गए खाद्यान्नों की मात्रा

4481. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1997 की तिथि के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता खाद्य (राशन) कार्डों की कुल राज्य वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या राशन कार्डों की संख्या के अनुसार निर्धारित खाद्यान्नों की मात्रा का वितरण किया जा रहा है;

(ग) क्या राशन कार्डों की संख्या के अनुपात में राज्यों को दिए जा रहे निर्धारित कोटे में काफी असमानता है;

(घ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाइसेंन्स धारकों को दिए जा रहे कमीशन की दर में भी असमानता है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता खाद्य राशन कार्डों की राज्यवार स्थिति के बारे में सूचना राज्य से एकत्रित की जा रही है। तथापि, नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार उपभोक्ता (खाद्य) राशन कार्डों की राज्य वार कुल संख्या निम्नवत है: —

राज्य	राशन कार्डों की संख्या	की स्थिति के अनुसार
आन्ध्र प्रदेश	162.00 लाख	दिसम्बर 96
बिहार	173.00 लाख	मार्च 96
गुजरात	96.70 लाख	दिसम्बर 96
कर्नाटक	108.39 लाख	दिसम्बर 96
मध्य प्रदेश	126.23 लाख	दिसम्बर 96
महाराष्ट्र	184.00 लाख	मार्च 96
उत्तर प्रदेश	241.33 लाख	दिसम्बर 96

(ख) से (ङ) राज्यों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा राशन कार्डों की संख्या के अनुसार निर्धारित नहीं की जाती है। राज्यों में प्रति कार्ड खाद्यान्नों को जारी किए जाने के मापदण्ड में काफी अन्तर है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केन्द्रीय सरकार राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए विशेष रूप से राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति माह प्रति परिवार 10 कि० ग्रा० की एक समान दर से खाद्यान्न जारी करेगी। खाद्यान्नों का आवंटन विगत 10 वर्षों के औसत वार्षिक उठान के आधार पर किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की आवश्यकता से ऊपर की आवंटित मात्रा को अस्थाई आवंटन समझा जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को माल की ढुलाई और उचित दर दुकानदारों (लाइसेंस धारकों) के लिए कमीशन पर होने वाले व्यय की पूर्ति करने हेतु उचित दर दुकान स्तर पर निर्गम मूल्य केन्द्रीय निर्गम मूल्य से अधिक निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों के लिए गरीबी रेखा से नीचे की आबादी हेतु उचित दर दुकानों से खाद्यान्नों को उन मूल्यों पर जारी करना अपेक्षित है जो कि केन्द्रीय निर्गम मूल्य की तुलना में 50 पैसे प्रति कि० ग्रा० से अधिक न हों। गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए मार्जिन निर्धारित करने हेतु राज्य स्वतंत्र हैं। इस मार्जिन में से राज्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खाद्यान्नों की ढुलाई और उचित दुकानदारों के कमीशन पर व्यय निर्धारित कर सकते हैं।